

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत धातु गंझू पिता स्व० खाखु गंझू, जागेश्वर गंझू पिता स्व० खाखु गंझू, रूपलाल गंझू पिता सोहराई गंझू, मोहन गंझू पिता गोवर्धन गंझू एवं शिंबू गंझू पिता गोवर्धन गंझू निवासी ग्राम: फूलबसिया, थाना: बरियातू, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: फूलबसिया थाना सं: 58 (रैयती) खाता सं. 274 के अधीन प्लॉट सं. 1373, 1378, 1379, 1380, 1541, 1652, 2112, 2130, 2135, 2137, 2139, 2141, 1497, 1540, 1567, 2281, 2288 & 2295; कुल रकबा – 10.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: फूलबसिया थाना सं: 58 (रैयती) खाता सं. 274 के अधीन प्लॉट सं. 1373, 1378, 1379, 1380, 1541, 1652, 2112, 2130, 2135, 2137, 2139, 2141, 1497, 1540, 1567, 2281, 2288 & 2295; कुल रकबा – 10.00 एकड़ रैयती भूमि जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है, के तहत धातु गंझू पिता स्व० खाखु गंझू, जागेश्वर गंझू पिता स्व० खाखु गंझू, रूपलाल गंझू पिता सोहराई गंझू, मोहन गंझू पिता गोवर्धन गंझू एवं शिंबू गंझू पिता गोवर्धन गंझू निवासी ग्राम: फूलबसिया, थाना: बरियातू, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
4.1.22